भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 815

06 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

efyu cfLr;ksa dh la[;k esa o`f)

815**- Jh vcq glhe [kku pkSèkjh%**
D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ns'k ds 'kgjh {ks=ksa esa efyu cfLr;ksa dh la[;k esa o`f) gks jgh gS(

¼[k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj bl lacaèk esa fd, x, losZ{k.k ds izeq[k fu"d"kZ D;k gS(

¼x½ D;k jk"Vªh; izfrn'kZ losZ{k.k dk;kZy; ¼,u,l,lvks½ ds fu"d"kZ efyu cLrh dh vkcknh lacaèkh tux.kuk vkadM+ksa ls esy ugha [kkrs vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj blds D;k dkj.k gSa(

¼?k½ ns'k esa fofHkUu 'kgjksa dks efyu cLrh eqDr cukus ds fy, ljdkj }kjk D;k dne mBk, x, gSa(vkSj

¼³½ o"kZ 2009 ls 2019 rd efyu cfLr;ksa esa jgus okys yksxksa ds iquokZlu vkSj efyu cfLr;ksa ds dkS'ky fodkl dk;ZØe fØ;kfUor djus ds fy, ljdkj }kjk o"kZ&okj fdruh èkujkf'k [kpZ dh xbZ gS\

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): जी हां । भारत की जनगणना के अनुसार, देश के शहरी क्षेत्रों में स्लम परिवारों की संख्या वर्ष 2001 में 1,01,50,719 से बढ़कर वर्ष 2011 में 1,39,20,191 हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) समय-समय पर स्लमों का सर्वेक्षण करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण (एनएसएस) के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा अपने 69वें दौर (जुलाई-दिसंबर 2012) में विशेष रूप से स्लमों पर नवीनतम सर्वेक्षण किया गया था। एनएसएस के 58वें दौर

(जुलाई-दिसंबर 2002) और 69वें दौर (जुलाई-दिसंबर 2012) के अनुसार स्लम परिवारों की अनुमानित संख्या क्रमशः 82,29,744 और 88,09,007 है।

(ग): जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की स्लम जनसंख्या 6,54,94,604 है । एनएसएसओ ने सूचित किया है कि वे स्लम जनसंख्या के डाटा का रखरखाव नहीं करते हैं ।

(घ) और (ड.): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं और इसलिए, स्लमों को हटाने के लिए डाटा के संग्रहण, नीति के निर्धारण और स्कीम के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है । तथापि, भारत सरकार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आवासों की कमी को दूर करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार से सहायता प्रदान करती रही है । आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास को सुविधाजनक बनाने के भारत सरकार के विज़न के अनुसरण में, स्लमवासियों सहित सभी पात्र शहरी परिवारों को सभी मौसमानुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है ।

पीएमएवाई-यू मिशन के 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटक को स्लमवासियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु संसाधन के रूप में भूमि के उपयोग का अधिदेश प्राप्त है । इस दृष्टिकोण का उद्देश्य पात्र स्लमवासियों को औपचारिक शहरी बस्ती में लाकर आवास उपलब्ध कराने के लिए स्लमों के अंतर्गत आने वाली भूमि की अज्ञात क्षमता का लाभ उठाना है । आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की विभिन्न शहरी आवासीय स्कीमों के अंतर्गत स्लमवासियों के पुनर्वास के लिए जारी की गई केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I पर दिया गया है ।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम करने के लिए 'स्वर्ण जयंति शहरी रोज़गार योजना (एसजेएसआरवाई)' के पुनर्गठन द्वारा सितंबर, 2013 से दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) का भी कार्यान्वयन कर रहा है । मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट (ईएसटी और पी) के माध्यम से रोजगार का उद्देश्य सतत आधार पर बेहतर जीवन स्तर बनाए रखने और शहरी गरीबी को कम करने के लिए मजदूरी रोजगार और/या स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले संरचित और बाजारोन्मुख प्रमाणित पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि करने के लिए समाज के असुरक्षित वर्गों के लाभार्थियों सहित शहरी गरीबों को कौशल प्रदान करना है। डीएवाई-एनयूएलएम मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संपूर्ण धनराशि जारी की जाती है और विभिन्न घटकों के तहत निधियों का परस्पर आवंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उनकी

आवश्यकता और क्षमता के आधार पर किया जाता है। मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

*****

दिनांक 06.02.2020 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 815 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की शहरी आवासीय स्कीम के अंतर्गत स्लमवासियों के पुनर्वास के लिए आवासों के निर्माण हेतु वर्ष 2009-10 से 2019-20 के दौरान संस्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

वित्तीय वर्ष	संस्वीकृत केंद्रीय सहायता	जारी की गई केंद्रीय सहायता*
2009-10	708.87	2,112.45
2010-11	1,645.33	2,800.16
2011-12	2,138.43	2,348.22
2012-13	711.25	2,008.60
2013-14	1,980.94	2,409.16
2014-15	703.77	1,870.16
2015-16	375.82	38.27
2016-17	112.82	379.66
2017-18	394.50	315.92
2018-19	2,233.76	22.20
2019-20	86.08	28.27

* जारी की गई केंद्रीय सहायता में पिछले वर्षों के दौरान प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता के लिए जारी की गई राशि भी

शामिल है ।

दिनांक 06.02.2020 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 815 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

एसजेएसआरवाई और डीएवाई-एनयूएलएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई केंद्रीय धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

वर्ष	**जारी की गई**
2009-10	421.61
2010-11	581.50
2011-12	778.83
2012-13	771.46
2013-14	714.98
2014-15	672.14
2015-16	239.72
2016-17	289.71
2017-18	556.73
2018-19	439.85
2019-20	637.23
कुल	**6103.76**